Date – 22 August 2022

हिम तेंदुआ

पर्यावास

- जम्मू मध्य और दक्षिणी एशिया के पर्वतीय क्षेत्र
- 12 रेंज देश।
- **भारत में:**
  - **पश्चिमी हिमालय:** जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश
  - **पूर्वी हिमालय:** उत्तराखंड और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश

प्रमुख साइटें S & T BY RAVI SINGH YOJNA IAS

- हेमिस नेशनल पार्क, लद्दाख
  - दुनिया की हिम तेंदुआ राजधानी
- ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, हिमाचल प्रदेश
- गंगोत्री नेशनल पार्क, उत्तराखंड
- खांगचेंदज़ोंगा नेशनल पार्क, सिक्किम

संरक्षण स्थिति S & T BY RAVI SINGH YOJNA IAS

सुभेदय: IUCN लाल सूची
परिशिष्ट I: CITES
अनुसूची I: भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972

चेतावनी

- ○ मानव हिम तेंदुआ संघर्ष
- ○ जलवायु परिवर्तन
- ○ शिकार और आवास का नुकसान
- ○ अवैध शिकार

संरक्षण के प्रयास S & T BY RAVI SINGH YOJNA IAS

- ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन (GSLEP) प्रोग्राम)
- हिमल रक्षक- सामुदायिक स्वयंसेवी कार्यक्रम।
- प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड
- स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम- पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, पश्चिम बंगाल

- हाल ही में, **नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज** के तहत **जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ZSI)** द्वारा किए गए एक अध्ययन में हिम तेंदुए, साइबेरियन आइबेक्स और नीली भेड़ द्वारा आवास के उपयोग के बीच संबंध पर प्रकाश डाला गया।
- इसका उद्देश्य यह जांचना था कि शिकारी अपनी शिकार प्रजातियों की उपस्थिति और इसके विपरीत या अनुपस्थिति में निवास स्थान का उपयोग कैसे करता है।

अध्ययन की मुख्य विशेषताएं

- यह पाया गया कि, एक हिम तेंदुए का पता लगाने की संभावना बढ़ जाती है यदि उस स्थान का उपयोग उसकी शिकार प्रजातियों, आइबेक्स और नीली भेड़ द्वारा किया जाता है।
- शिकार प्रजातियों के मामले में, जब शिकारी (हिम तेंदुआ) मौजूद था और देखा गया था, तो पता लगाने की संभावना कम थी।
- इसके अलावा दोनों प्रजातियों की अपेक्षा से एक साथ पता लगाने की संभावना कम थी।
- अध्ययन के अनुसार, आवास चर जैसे बंजर क्षेत्र, घास के मैदान, पहलू, ढलान और पानी से दूरी हिम तेंदुए और इसकी शिकार प्रजातियों दोनों के लिए आवास उपयोग के प्रमुख चालक थे।
- हिम तेंदुए जैसे शिकारियों ने घास के मैदानों के स्वास्थ्य की रक्षा करते हुए, पहाड़ों में नीली भेड़ और साइबेरियन आइबेक्स जैसे शाकाहारी जीवों की आबादी को नियंत्रित किया।
- हिम तेंदुओं की लंबे समय तक अनुपस्थिति ट्रॉफिक कैस्केड का कारण बन सकती है क्योंकि अनियंत्रित आबादी बढ़ने की संभावना है, जिससे वनस्पति कवर कम हो जाएगा।
- स्पीति घाटी पारिस्थितिकी तंत्र में हिम तेंदुए और इसकी शिकार प्रजातियों की दीर्घकालिक स्थिरता के लिए बेहतर संरक्षण और प्रबंधन योजनाओं के निर्माण में प्रजातियों की बातचीत का ज्ञान फायदेमंद होगा।

भारतीय की पहल

1. भारत सरकार ने उच्च ऊंचाई वाले हिमालय के लिए एक प्रमुख प्रजाति के रूप में हिम तेंदुए की पहचान की है।
2. भारत 2013 से ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन (जीएसएलईपी) कार्यक्रम का भी पक्ष है।
3. हिमल रक्षक: यह अक्टूबर 2020 में शुरू किए गए हिम तेंदुओं की रक्षा के लिए एक सामुदायिक स्वयंसेवी कार्यक्रम है।
4. 2019 में, हिम तेंदुए की जनसंख्या के आकलन पर पहला राष्ट्रीय प्रोटोकॉल भी शुरू किया गया था जो आबादी की निगरानी के लिए बहुत उपयोगी रहा है।
5. सुरक्षित हिमालय: वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) – संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ने उच्च ऊंचाई वाली जैव विविधता के संरक्षण और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र पर स्थानीय समुदायों की निर्भरता को कम करने पर परियोजना को वित्त पोषित किया।
6. प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड (PSL): इसे 2009 में हिम तेंदुओं और उनके आवास के संरक्षण के लिए एक समावेशी और भागीदारी दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया था।
7. पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के लिए हिम तेंदुआ 21 गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची में है।

8. हिम तेंदुआ संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया है।

क्या है हिमालयी अध्ययन पर राष्ट्रीय मिशन?

- यह एक केंद्रीय क्षेत्र की सहायता अनुदान योजना है, इसलिए, भारत में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और स्थायी प्रबंधन से संबंधित प्रमुख मुद्दों को संबोधित करने में, सिस्टम के घटकों और उनके संबंधों की समग्र b`समझ के माध्यम से बहुत आवश्यक ध्यान प्रदान करने का लक्ष्य है। क्षेत्र (आईएचआर)।
- अंतिम लक्ष्य देश के लिए दीर्घकालिक पारिस्थितिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार और क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखना है।
- चूंकि मिशन विशेष रूप से भारतीय हिमालयी क्षेत्र (आईएचआर) को लक्षित करता है, एनएमएचएस के अधिकार क्षेत्र में 10 हिमालयी राज्य शामिल हैं (यानी, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड) और दो राज्य आंशिक रूप से (यानी, असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी जिले)।

लक्ष्यों में शामिल हैं:

- प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और सतत प्रबंधन को बढ़ावा देना;
- पूरक और/या वैकल्पिक आजीविका और क्षेत्र के समग्र आर्थिक कल्याण में वृद्धि;
- क्षेत्र में प्रदूषण को नियंत्रित और रोकना;
- क्षेत्र में मानव और संस्थागत क्षमताओं और ज्ञान और नीतिगत वातावरण में वृद्धि / वृद्धि हुई; तथा
- जलवायु-लचीला मूल बुनियादी ढांचे और बुनियादी सेवाओं की संपत्ति के विकास को मजबूत, हरा-भरा और बढ़ावा देना।

रवि सिंह

YOJNA IAS

VLC मीडिया प्लेयर भारत में प्रतिबंधित

- वीडियोलैन क्लाइंट (VLC) मीडिया प्लेयर वेबसाइट को भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया है।
- जबकि वीएलसी का कहना है कि उसके आंकड़ों के मुताबिक उसकी वेबसाइट भारत में फरवरी 2022 से प्रतिबंधित है।

वीएलसी और उस पर लगाए गए प्रतिबंध:

वीएलसी:

- वीएलसी ने 90 के दशक के अंत में भारत में लोकप्रियता हासिल की जब सूचना प्रौद्योगिकी में प्रगति के कारण भारत में पर्सनल कंप्यूटरों का प्रवेश हुआ।
- मुक्त और खुला स्रोत होने के अलावा, वीएलसी आसानी से अन्य प्लेटफार्मों और स्ट्रीमिंग सेवाओं के साथ एकीकृत होता है और अतिरिक्त कोडेक की आवश्यकता के बिना सभी फ़ाइल स्वरूपों का समर्थन करता है।

वीएलसी पर प्रतिबंध:

- वीएलसी वेबसाइट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, फिर भी वीएलसी ऐप Google और ऐप्पल स्टोर पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है।
- वीएलसी वेबसाइट पर प्रतिबंध के संबंध में सिविल सोसाइटी संगठनों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के पास कई सूचना का अधिकार (आरटीआई) आवेदन दायर किए गए हैं।
- हालांकि, इन आवेदनों के जवाब में मंत्रालय ने कहा है कि "कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है"।
- जब वेबसाइट को पहले एक्सेस किया गया था, तो "सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के आदेश के अनुसार वेबसाइट को अवरुद्ध कर दिया गया है" संदेश प्रदर्शित किया गया था।

प्रतिबंध का कारण:

चीनी हस्तक्षेप:

- अप्रैल 2022 में साइबर सुरक्षा फर्म, सिमेंटेक की एक रिपोर्ट ने सुझाव दिया कि कथित रूप से चीन द्वारा समर्थित एक हैकर समूह सिकाडा मैलवेयर को सक्रिय करने के लिए वीएलसी मीडिया प्लेयर का उपयोग कर रहा था।

सुरक्षित सर्वर:

- वीएलसी वेबसाइट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है; ऐप स्टोर के सर्वर के रूप में डाउनलोड के लिए उपलब्ध इसका ऐप, जहां मोबाइल ऐप होस्ट किए जाते हैं, उन सर्वरों की तुलना में सुरक्षित माना जाता है जहां डेस्कटॉप संस्करण होस्ट किए जाते हैं।

सरकार जनता के लिए ऑनलाइन सामग्री पर कब प्रतिबंध लगा सकती है?

ऐसे दो मार्ग हैं जिनके माध्यम से सामग्री को ऑनलाइन अवरुद्ध किया जा सकता है:

कार्यकारिणी:

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69A:

- धारा 69A सरकार को किसी भी मध्यस्थ को भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा, "जनता द्वारा पहुंच" किसी भी कंप्यूटर संसाधन में उत्पन्न, प्रेषित, प्राप्त, संग्रहीत या होस्ट की गई कोई भी जानकारी प्रदान करती है। विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों या

सार्वजनिक व्यवस्था के हित या अवरुद्ध करने के लिए किसी भी संज्ञेय अपराध के कमीशन को रोकने के लिए"।

- धारा 69A संविधान के अनुच्छेद 19(2) से अपनी शक्ति प्राप्त करती है जो सरकार को वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाने की अनुमति देती है।

न्यायपालिका:

- भारत में न्यायालयों के पास पीड़ित/वादी को प्रभावी उपचार प्रदान करने के लिए मध्यस्थों को सामग्री को भारत में अनुपलब्ध बनाने का निर्देश देने की शक्ति है।
- उदाहरण के लिए, अदालतें इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को उन वेबसाइटों को ब्लॉक करने का आदेश दे सकती हैं जो पायरेटेड सामग्री तक पहुंच प्रदान करती हैं और एक वादी के कॉपीराइट का उल्लंघन करती हैं।

सामग्री को ऑनलाइन ब्लॉक करने की प्रक्रिया क्या है?

- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69ए के तहत बनाए गए सूचना प्रौद्योगिकी (जनता द्वारा सूचना तक पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए प्रक्रिया और सुरक्षा) नियम, 2009 (आईटी नियम, 2009), सामग्री को अवरुद्ध करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया प्रदान करता है।
- केवल केंद्र सरकार ही ऑनलाइन सामग्री तक पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए बिचौलियों को निर्देशित करने की शक्ति का प्रयोग कर सकती है, न कि राज्य सरकार।

प्रक्रिया:

- केंद्र या राज्य एजेंसियां एक "नोडल अधिकारी" नियुक्त करती हैं जो केंद्र सरकार के आदेशों को "नामित अधिकारी" को अग्रेषित करेगा।

एक समिति के हिस्से के रूप में नामित अधिकारी नोडल अधिकारी के अनुरोध की जांच करता है।

- समिति में कानून और न्याय मंत्रालय, सूचना और प्रसारण, गृह मंत्रालय और सीईआरटी-आईएन के प्रतिनिधि शामिल हैं।
- विचाराधीन सामग्री के निर्माता/होस्ट को स्पष्टीकरण और उत्तर प्रस्तुत करने के लिए एक नोटिस दिया जाता है।
- समिति तब सिफारिश करती है कि नोडल अधिकारी के अनुरोध को स्वीकार किया जाना चाहिए या नहीं।
- यदि यह सिफारिश MEITY द्वारा अनुमोदित है, तो नामित अधिकारी मध्यस्थ को सामग्री को हटाने का निर्देश दे सकता है।

स्वदीप कुमार

YOJNA IAS

Is moral policing the newest deterrent to female labour force participation?

- कार्य का रूप और सीमा, राजनीतिक भागीदारी, शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य की स्थिति, निर्णय लेने वाले निकायों में प्रतिनिधित्व, संपत्ति तक पहुंच कुछ प्रासंगिक संकेतक हैं, जो समाज में व्यक्तिगत सदस्यों की स्थिति को प्रकट करते हैं। हालांकि, समाज के सभी सदस्यों, विशेष रूप से महिलाओं की उन कारकों तक समान पहुंच नहीं है जो स्थिति के इन संकेतकों का गठन करते हैं।
- पितृसत्तात्मक मानदंड भारतीय महिलाओं की शिक्षा और रोजगार के विकल्पों को सीमित या प्रतिबंधित करते हैं, जिसमें शिक्षा के विकल्प से लेकर कार्यबल में प्रवेश और कार्य की प्रकृति शामिल है।
- इस परिदृश्य में, देश की लगभग आधी आबादी और नागरिकता रखने वाली महिलाओं की स्थिति पर विचार करना प्रासंगिक होगा, जहां वे वर्तमान में स्वतंत्रता, गरिमा, समानता और प्रतिनिधित्व के संघर्ष में खड़ी हैं।

महिला सशक्तिकरण के बारे में संविधान क्या कहता है?

- लैंगिक समानता का सिद्धांत भारतीय संविधान में निहित है।
- संविधान न केवल महिलाओं को समानता की गारंटी देता है, बल्कि राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव के उपाय करने का अधिकार भी देता है ताकि उनके संचयी सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक नुकसान को कम किया जा सके।
- महिलाओं को लिंग के आधार पर भेदभाव न करने का मौलिक अधिकार है (अनुच्छेद 15) और कानून के समक्ष समान संरक्षण (अनुच्छेद 14)।
- महिलाओं की गरिमा के खिलाफ प्रचलित अपमानजनक प्रथाओं को त्यागना संविधान में प्रत्येक नागरिक के लिए एक मौलिक कर्तव्य है।

भारत में ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां महिलाओं ने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है?

- वर्षों से महिलाओं ने समाज के अन्याय और पूर्वाग्रह का सामना किया है। लेकिन आज बदलते समय के साथ उन्होंने अपने लिए एक पहचान बनाई है, उन्होंने लैंगिक रूढ़ियों की बेड़ियों को तोड़ दिया है और अपने सपनों और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मजबूती से खड़ी हैं।

उदाहरण के लिए हम कुछ महिलाओं और उनकी हाल की उपलब्धियों को देख सकते हैं:

समाज सेवक:

- **सिंधुताई सपकाल** (पद्म श्री 2021)- अनाथों की परवरिश

पर्यावरणविद्:

- **तुलसी गौड़ा** (पद्म श्री 2021)- उन्हें 'वन का विश्वकोश' कहा जाता है।

रक्षा क्षेत्र:

- **अवनी चतुर्वेदी –** एक लड़ाकू विमान (मिग-21 बाइसन) अकेले उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला

खेल क्षेत्र:

- **मैरी कॉम–** ओलंपिक में बॉक्सिंग में पदक जीतने वाली देश की पहली महिला।
- **पीवी सिंधु-** दो ओलंपिक पदक (कांस्य – टोक्यो 2020) और रजत (रियो 2016) जीतने वाली पहली भारतीय महिला।
- **भारतीय महिला क्रिकेट टीम-** फाइनलिस्ट (रजत पदक), राष्ट्रमंडल खेल 2022

अंतर्राष्ट्रीय संगठन में:

- **गीता गोपीनाथ–** अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री।

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी:

- **टेसी थॉमस–** 'भारत की मिसाइल महिला' के रूप में सम्मानित (अग्नि-वी मिसाइल परियोजना से संबद्ध)

शिक्षा क्षेत्र:

- **शकुंतला देवी-** सबसे तेज मानव गणना के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड।
- **शानन ढाका-** राष्ट्रीय रक्षा अकादमी प्रवेश परीक्षा में AIR 1 (एनडीए का पहला महिला बैच)
- UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2021 में महिला उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त शीर्ष 3 अखिल भारतीय रैंक।

भारत में महिलाओं के लिए चिंता के वर्तमान क्षेत्र

पुरुष महिला साक्षरता दर में अंतर:

- हमारे समाज में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए शिक्षा के अवसर की समानता सुनिश्चित करने के सरकार के प्रयासों के बावजूद, भारत में महिलाओं की साक्षरता दर, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, अभी भी बदतर है।
- ग्रामीण भारत में स्कूल दूर स्थित हैं और मजबूत स्थानीय कानून व्यवस्था के अभाव में लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा के लिए लंबी दूरी तय करना असुरक्षित है।
- कन्या भ्रूण हत्या, दहेज और बाल विवाह जैसी पारंपरिक प्रथाओं ने भी उस समस्या में योगदान दिया है जहां कई परिवारों को बालिकाओं को शिक्षित करना आर्थिक रूप से अव्यावहारिक लगता है।

लिंग भूमिकाओं के संबंध में रूढ़ियाँ:

- अभी भी भारतीय समाज का एक बड़ा वर्ग मानता है कि वित्तीय जिम्मेदारियों को निभाना और बाहर काम करना पुरुषों की भूमिका है।
- जेंडर भूमिकाओं के संबंध में रूढ़िवादिता ने आम तौर पर महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह और भेदभाव को जन्म दिया है।
- उदाहरण के लिए, महिलाओं को उनके बाल-पालन कार्य के कारण श्रमिकों/श्रमिकों के रूप में कम विश्वसनीय माना जाता है।

समाजीकरण प्रक्रिया में अंतर:

- भारत के कई हिस्सों में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, पुरुषों और महिलाओं के लिए समाजीकरण के मानदंड अभी भी भिन्न हैं।
- महिलाओं से मृदुभाषी, शांत और शांत रहने की अपेक्षा की जाती है। उनसे कुछ खास तरीकों से चलने, बात करने, बैठने और व्यवहार करने की अपेक्षा की जाती है। इसकी तुलना में, एक आदमी अपने मनचाहे व्यवहार को प्रदर्शित कर सकता है।

विधानमंडल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व:

- भारत भर में विभिन्न विधायी निकायों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम रहा है।
- अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) और संयुक्त राष्ट्र-महिलाओं की एक रिपोर्ट के अनुसार, संसद में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या के मामले में भारत 193 देशों में 148वें स्थान पर था?

सुरक्षा चिंतायें:

- भारत में सुरक्षा के क्षेत्र में निरंतर प्रयासों के बावजूद महिलाओं को विभिन्न स्थितियों जैसे भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, बलात्कार और तस्करी, जबरन वेश्यावृत्ति, ऑनर किलिंग, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है।

'अवधि गरीबी':

- अवधि गरीबी दुनिया के कई देशों, खासकर भारत में गंभीर चिंता का विषय है। मासिक धर्म की गरीबी का तात्पर्य मासिक धर्म के उचित प्रबंधन के लिए आवश्यक स्वच्छता उत्पादों, मासिक धर्म शिक्षा, और स्वच्छता और स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच की कमी है।
- संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) द्वारा वर्ष 2011 में किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि भारत में केवल 13% बालिकाएं ही पहली माहवारी से गुजरने से पहले इसके बारे में जानती थीं।

ग्लास सिलिंग:

- न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में महिलाओं को एक सामाजिक बाधा का सामना करना पड़ता है जो उन्हें प्रबंधन क्षेत्र में शीर्ष नौकरियों में पदोन्नत होने से रोकता है।

महिला सशक्तिकरण से संबंधित प्रमुख सरकारी योजनाएं

- बेटी बचाओ, बेटी पढाओ योजना
- उज्ज्वला योजना
- स्वाधार गृह
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
- प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना
- वन स्टॉप सेंटर

स्वदीप कुमार